Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झालावाड़ में राजस्व भू–अभिलेख निरीक्षक 10 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *06 जुलाई बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर झालावाड़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये संगीता कुमारी, हाल भू–अभिलेख निरीक्षक (रिजर्व) तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि हमारी जमीन से अवैध कब्जे को हटवाने तथा जमीन की पेमाईश कराने की एवज में संगीता कुमारी भू–अभिलेख निरीक्षक (रिजर्व) तहसील पिड़ावा जिला झालावाड द्वारा 15 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की झालावाड़ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भवानीशंकर मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर मय टीम के तहसील कार्यालय पिड़ावा में ट्रेप कार्यवाही करते हुये सुश्री संगीता कुमारी हाल भू–अभिलेख निरीक्षक (रिजर्व) तहसील पिड़ावा जिला झालावाड को परिवादी से **10 हजार रुपये** की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपिया द्वारा परिवादी से 5 हजार रूपये की रिश्वत राशि पूर्व में ही भूमि की पेमाईश के दिन प्राप्त कर ली गई थी।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपिया के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।